


8 21
2024

पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्षापरिषद्
मूलवाद प्रकरण में वकील वादी ने एवं
वकील कार्यवाही ने सक्षमता से वाद प्रकलन
को प्रत्यक्ष स्वर पर डिक्री हो चुका
है। इसलिए प्रयोग का प्रयोग पत्र
बन्तगति द्वारा 212 आरटीए का
प्रभावहीन हो जाता है। इसलिए प्रयोग
के प्रयोग पत्र में कार्यवाही रोक नहीं
रहती है। इसलिए कार्यवाही को इसी रूप
पर समाप्त की जाती है। पत्रावली केवल
समाप्त होकर नम्बर से कम है।



[Signature]
उपखण्ड जज
डूंगला

श्री प्रमाण
पिता
जिला चित्तौड़

श्री न्यायालय उप

1. श्री अभिषेक पिता
डूंगला जिला चित्तौड़
2. श्री प्रमाण पिता दि
डूंगला जिला चित्तौड़

1. श्री रमेश पिता
डूंगला जिला चित्तौड़
2. श्री उपपंजीयक
3. श्री भूमिधारी ज

प्रार्थना

इय जी,

प्रार्थीग

1. यह कि उक्त
है। जो सुदृढ
निर्णय में सम
2. यह कि ग्राम
संयुक्त कब
होकर उस
आराजी
3792/5
कुल कि
जमाबन्द
आराजी
3. यह कि

